न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0 95(ए)/2023 (जी.सी.एम.एस.नम्बरः 2018/00581) व इजलासः– डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

1. सुफेदा
2. सरदार(मृतक)
3. लल्लू उर्फ हुसैना (मृतक)

पुत्रगण खैराती जाति मेव नि0 गॉव व पोस्ट हिंगोटा तह0डीग

–प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग (राज0)

–अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,</u>

निर्णय

दिनांकः 18.06.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,** इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बरान 295/0.15, वाके ग्राम हींगोटा तहसील डीग में स्थित है। साविक आराजी खसरा नम्बर 247 रकबा 2 बीघा 17 विस्वा में से प्रार्थीगण ने सगरू पुत्र पोला जाति मेव निवासी हींगोटा तहसील डीग से जरिये बयनामा पंजीबद्व दिनांक 10.08.1970 को खरीद किया।वक्त खरीद रकबा ख0नम्बर 247 में से एक बीघा का बयनामा पंजीबद्व कराते समय सगरू पुत्र पोला मेव खातेदार काश्तकार काबिज था। प्रार्थीगण का बयनामा दिनांक 10.08.1970 का नामान्तरकरण संख्या 137 सम्बत 2027 में स्वीकार हो चुका है। वर्तमान में हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी हाल में आराजी खसरा नम्बर 295/0.15 में प्रार्थीगण को एलॉटी लिखा जा रहा है। अतः निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड से एलॉटी शब्द हटाया जाकर खातेदार दर्ज रिकार्ड किये जाने की आज्ञा फरमायें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी **अन्तर्गत धारा 136** एल.आर.एक्ट, को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित अप्रार्थी/तहसीलदार डीग को जरिये नोटिस तलब कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार डीग ने पत्रांकः कैम्प/2021/129 दिनांक 01.11.2021 में अंकित किया गया है कि " दिनांक 10.08.1970 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से सुफेदा, सरदार हुसैना पिस0 खैराती कॉम मेव सा0हींगोटा ने आराजी खसरा नम्बर 247 में से जमीन खरीदी। साविक खसरा नम्बर 247 मिन से वर्तमान खसरा नम्बर 295/0.15 बना है। मुताविक रजिस्टर्ड बयनामा के सम्बत 2027 में नामा0 दर्ज हुआ। दर्ज नामा0 में क्रेता एवं विक्रेता के खातेदार व गैर खातेदार अथवा एलॉटी

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

अधिकारी डीग जिला डीग (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

होने का कोई उल्लेख नहीं है। दर्ज नामा0 सम्बत 2027 से पूर्व की जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की गई।"

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड से एलॉटी शब्द हटाया जाकर खातेदार दर्ज रिकार्ड किये जाने की आज्ञा फरमायें।

पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड तथा तहसीलदार डीग से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन व वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड व तहसीलदार डीग की रिपोर्ट एवं दर्ज नामा0 में क्रेता एवं विक्रेता के खातेदार व गैर खातेदार अथवा एलॉटी होने का कोई उल्लेख नहीं है। दर्ज नामा0 सम्बत 2027 से पूर्व की जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की गई। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट को राजस्व रिकार्ड के अभाव में सावित नहीं होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि:–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, राजस्व रिकार्ड के अभाव में **अस्वीकार/खारिज किया जाता है।**

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner